

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी
हुए

रामखिलाडी बनाम जगरानी

मु.नं.- 48/24

किस्म - 7.2.

दिनांक 14.10.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

14.10.25 पत्रादली पेश हुई। वकील उभय
पक्ष उपस्थित। श.पत्र 7.2 पर उभय
पक्ष विद्वान अभिभावकों की वृत्त सुनी गई।
पत्रादली वाले अधिश 40 पत्र 7.2 दिनांक
18.11.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

18.11.25 पत्रादली पेश हुई। वकील उभय
पक्ष उपस्थित। शर्षी का श.पत्र अन्तर्गत धारा
212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार
किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृष्ठ से लिखवाया
जाकर शामिल पत्रादली किया गया। पत्रादली फैसला
शुभाद होकर मूल वाद के साथ नतीजा हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)